अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018

(उ0 प्र0 अधिनियम सं0 42, सन् 2018)

THE ATAL BIHARI VAJPAYEE MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH ACT, 2018

(U.P. Act No. 42 of 2018)

अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, संविधान का अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने 22 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की तथा उसी दिन उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः—

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न—भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न—भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है।

परिभाषायें

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(1) 'विद्या परिषद और कार्य परिषद' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः विद्या परिषद और कार्य परिषद से है ;

(2) 'सम्बद्ध कालेज' या 'सम्बद्ध संस्था' का तात्पर्य इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी कालेज या किसी संस्था से है;

(3) 'नियत दिनांक' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(4) 'दन्त विज्ञान, चिकित्सा और परिचर्या' के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 और भारतीय परिचर्या परिषद अधिनियम, 1947 में उनके लिये समनुदेशित हैं;

(5) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन संकाय से है;

(6) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है;

(7) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास इकाई से है;

(8) किसी सम्बद्ध कालेज के सम्बन्ध में 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य उस कालेज से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(9) 'चिकित्सा विज्ञान' का तात्पर्य आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की समस्त शाखाओं से हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, परा चिकित्सा विज्ञान और उसकी समस्त शाखाओं के अन्य समवर्ती विषय सम्मिलित हैं;

(10) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(11) 'परिनियमावली', 'अध्यादेश' और 'विनियमावली' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमावली से है;

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध कालेजों द्वारा अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा अनुसंधान संचालित करने के लिये नियोजित किसी अध्यापक से है, जिसमें किसी सम्बद्ध कालेज का निदेशक या प्राचार्य सम्मिलित है;

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय – दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमितीकरण

3–कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारण करते हों, से राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से एक निगमित निकाय सृजित होगी।

कुलपति और कर्मचारिवृन्द की प्रथम नियुक्ति

4–(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति, सरकार द्वारा दो वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति और चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यो के मध्य से की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5–विश्वविद्यालय के उद्‌देश्य निम्नलिखित हैं:–

(क) चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, भेषजी, परा चिकित्सा और समय–समय पर यथाविहित अन्य विषयों में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना तथा उनमें दक्ष व्यवस्थित अनुदेश सुनिश्चित करना;

(ख) ट्रामा केन्द्रों सहित बहु–शाखीय और अति विशिष्ट चिकित्सालयों का उपबंध करना;

(ग) उसके चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) सम्बद्ध (सरकारी तथा निजी रूप से प्रबन्धकृत) कालेजों को सम्बद्ध करना, उसका पर्यवेक्षण करना तथा विनियमित करना और तत्सम्बंधी परीक्षायें संचालित करना;

(ङ) चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना;

(च) परंपरागत तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(छ) अध्यापकों और अन्य प्राविधिक तथा परा चिकित्सीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ज) संघ, राज्य और अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयीत करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य

6–विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:–

(एक) चिकित्सा, दन्त विज्ञान, परिचर्या, परा–चिकित्सीय तथा अन्य शाखाओं, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्यापन तथा प्रशिक्षण संस्थित करना, और उन शाखाओं में अनुसंधान एवं ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिये उपबंध करना तथा उनकी अनुवृद्धि का प्रबंध करना;

(दो) सम्बद्ध मेडिकल कालेजों, दंत कालेजों, परिचर्या संस्थाओं तथा परा–चिकित्सा संस्थाओं और ऐसे घटक एवं स्वशासी कालेजों में उपाधियां संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का और परीक्षा या परीक्षण आयोजित करना तथा तत्सम्बंध में शर्तें अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाएं आयोजित करना और उन्हें उपाधियां, स्नातकोत्तर उपाधियां तथा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ स्वीकृत करना तथा प्रदत्त करना, जो,

(क) विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध कालेजों में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हो; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान जारी रखे हों;

(पाँच) परिनियमावली में अधिकथित रीति से और उसकी शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ प्रदत्त करना;

(छः) अभ्यर्थियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, के लिये ऐसे व्याख्यानों, अनुदेशों तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;

(आठ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, पदक, पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना और अन्य छात्र कल्याणकारी क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(नौ) किसी उपाधि हेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पूरा करने के लिये अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना;

(चौदह) अध्यापन, प्रशासनिक, प्राविधिक, अध्यापनेत्तर और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ शोध और एकस्व कार्यों के प्रकाशन का दायित्व लेना;

(सोलह) अपने चिकित्सालयों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये उपबंध करना;

(सत्रह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दन्त चिकित्सा कालेजों या किसी ऐसी संस्था, जो परिचर्या तथा परा चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता के विशेषाधिकार देना अथवा ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लेना या उनमें कटौती करना और ऐसी संस्था के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने लिये आवश्यक ऐसे सभी कार्य एवं बातें करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों;

विशेषाधिकारों की अधिकारिता और उनकी स्वीकृति

7–(1) राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान या दन्त विज्ञान अथवा परिचर्या तथा परा चिकित्सा शाखाओं में उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कालेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा।

(3) राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कालेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार, ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा।

(4) नियत दिनांक को और से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ या उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा या शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के समस्त कालेज और संस्थायें, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे।

विश्वविद्यालय, समस्त जातियों एवं पंथों के लिए होगा

8–जाति, वर्ग, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगाः

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय,–

(एक) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्बंधित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवत्त सरकार के किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण और जॉच

9–(1) राज्य सरकार को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसे वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कर्मशालायें तथा उपस्कर हैं, के संबंध में और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा समस्त अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासक तथा वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जांच में कार्य परिषद द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित नहीं होगा; पक्ष समर्थन नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समस्त शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश, कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में ऐसे परामर्श जैसा कि सरकार प्रदान करे, के साथ कार्य–परिषद को संसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार नियत करे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) सरकार, कुलपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये किसी निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की प्रत्येक रिपोर्ट और ऐसे निदेशों का अनुपालन करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलपति;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

11–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे। कुलाधिपति

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उपधारा (10) की उपधारा (6) द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों। कुलपति

(2) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने के दिनॉक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग–पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगेः–

(क) मुख्य सचिव;

(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग;

(ग) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय;

(घ) निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ङ) चिकित्सा सेवा में एक विशेषज्ञ, जो चिकित्सा संस्था या चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान की श्रेणी से नीचे का न हो, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी अपेक्षा की जाये और ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलपति का पद धारण करने के लिये कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति, कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित न करेगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) यदि समिति की उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्थिति में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में विफल या असमर्थ हो या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये नये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेंगे जो उपधारा (4) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(7) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगेः—

(क) जहाँ कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद—त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति मेंः

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय—समय पर बढ़ा सकेंगे किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(10) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (6) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति यदि कोई हो, या जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो, वहाँ विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है कि अपने निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते है।

(12) उपधारा (11) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रेतर आदेशों तक–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

13–(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष (अध्यक्षा) होंगे/होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 11 और 50 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगीः

परन्तु कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी,प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करतेः

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी तथापि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उप–धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसे कार्यवाही के विरूद्व उस दिनांक से जिस दिनांक को ऐसे कार्यवाही पर विनिश्चय से उसे संसूचित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य–परिषद, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उप–धारा(6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नही समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था, बजट में न की गयी हो।

(8) जहाँ उप–धारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में नियुक्ति सम्मिलित हो, वहाँ ऐसी नियुक्ति, उक्त विहित रीति से नियुक्ति किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किया जाय।

14–(1) कुलपति, यदि आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यो में से किसी एक को प्रति कुलपति नियुक्त कर सकता है। प्रति कुलपति

(2) उप–धारा(1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारक करेगा।

(4) प्रति–कुलपति सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथा अवधारित धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।

(5) प्रति–कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय तथा वह कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जाय।

15–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुल सचिव

(2) कुल सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह किसी अध्यापक हेतु कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति, अनुशासन समिति का, और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु प्रत्येक चयन समिति, का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों तथा कुलपति के समक्ष समय समय पर अपेक्षित ऐसी समस्त सूचनाओं को रखने के लिये बाध्य होगा किन्तु वह, इस उप–धारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नही होगा।

(5) कुल सचिव को, सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो प्रदान किया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर सहाय देने और सहायता करने के लिये उप कुलसचिव (उप कुलसचिवों) तथा सहायक कुल सचिव (सहायक कुल सचिवों) की नियुक्ति की जा सकती है।

वित्त अधिकारी

16–(1) विश्वविद्यालय हेतु एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा किया जायेगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर वित्त अधिकारी को सहायता देने और सहायता करने के लिये एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद को बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगेः–

(क) यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्ही परिनियमों या अघ्यादेशों के निबंधनों का उल्लघंन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा–परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कदम उठायें जाय;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों का सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुँच, विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बधित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(9) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होगें जैसाकि विहित किया जाय।

17–(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक, अपने कार्य से संबधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि उसके कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी सम्पादन करेगा जैसा कि विनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय किन्तु वह इस उप धारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा और उसके पास इस संबंध में कुल सचिव की समस्त शक्तियाँ होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं का संचालन करना होगा और उसके लिये समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करनी होगी और तत्सम्बन्धी समस्त प्रकियाओं के सम्यक निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहाँ परीक्षा नियंत्रक, किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन यथा स्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्ति के भरे जाने तक, कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमों के अधीन विहित शर्तो पर परीक्षा नियंत्रक को सहायता देने और सहायता करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

18–कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, अन्य अधिकारी
यदि कोई हो जो नियुक्त किये गये हों, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्ति वही होगी, जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या अधिकथित किया जाय।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होगें, अर्थातः– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कार्य परिषद;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति;

(ड़) संकाय बोर्ड;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हे परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हे परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

कार्यपरिषद का गठन

20–(1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थातः–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी।

(ख) प्रति कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ङ) सम्बद्व कालेजों सहित विश्वविद्यालय के दो संकायों के संकायाध्यक्ष, ज्येष्ठा क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(छः) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो आचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ज) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;

(झ) निदेशक, संजयगाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(ञ) निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ;

(च) कार्यपरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट राजकीय मेडिकल कालेजों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी राजकीय मेडिकल कालेज का एक प्राचार्य;

(ज) सम्बद्व कालेजों सहित विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठ आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगें;

(झ) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के चिकित्सा संस्था से सेवा निवृत्त दो प्रख्यात निदेशक/प्रधान, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगें।

चिकित्सा व्यवसाय या सामाजिक सेवा में संलग्न सिविल सोसाइटी के दो प्रख्यात सदस्य या सेवानिवृत्त सिविल सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगें।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदवधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति कार्यपरिषद का सदस्य होने और सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय अथवा उसके सम्बद्व कालेज की सेवा में होगें अथवा विश्वविद्यालय में या उसके लिये किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक, अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता हैः

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात, किसी अध्यापक द्वारा रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्ही कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण के संबध में किन्ही कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर के रूप में किन्ही कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्ही कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में नातेदार का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा–2 में परिभाषित कम्पनी और परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन नियम, 2014 के नियम–4 के अधीन विहित ''नातेदारों'' से है।

21–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखी गई किन्हीं निधियों का प्रशासन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि–छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझें या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय–समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय और साथ ही साथ घटक, सम्बद्ध कालेजों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा द्वारा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियम सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

विद्या परिषद

22–(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,–

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्य परिषद को परामर्श दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलपति;

(दो) दोनों संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो;

(पांच) चिकित्सा संस्थाओं और मेडिकल कालेजों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(छः) प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह–आचार्य और दो सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे; और

(सात) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

वित्त समिति

23–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति, जो उसका/उसकी अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;

(ग) सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य, वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्ययों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्तीय समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।

24–(1) विश्वविद्यालय में औषधि, दंत विज्ञान, परिचर्या, परा चिकित्सा संकाय और यथाविहित अन्य संकाय होंगे। संकाय

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग समाविष्ट होंगे जो विहित किये जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों की पदावधि सहित) तथा उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य वहीं होंगे जैसा विहित किया जाए।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का/की अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा /होगी और वह,–

(क) संकाय में समाविष्ट विभागों के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन के लिए;

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक पालन के लिए, उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाए।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यापन बोर्डों का गठन अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

25–(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन उसी प्रकार से किया जायेगा जैसा कि अध्यादेशों में उपबंधित किया गया हो। प्रवेश समिति

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियाँ नियत करने की शक्तियाँ होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धांतों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति प्रवेशों के मापदण्ड या पद्धतियों जिसमें प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित है, के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी कर सकती है।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए (अल्पसंख्यक को छोड़कर) ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त करे।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय या राज्य नियामक निकायों के किन्हीं आदेशों के अध्यधीन होंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेजों में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा मे बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कुलपति के पास ऐसा उल्लंघन में दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

26–(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबंधित रूप में किया जायेगा। परीक्षा समिति

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का जिसमें अनुसीमन तथा सारणीकरण भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगी, अर्थात् :–

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और तत्सम्बन्ध में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा पद्धति के सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुति करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियाँ नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतः किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों को प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है।

27–(1) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जाए। अन्य प्राधिकरण

अध्याय – पाँच

कालेजों की सम्बद्धता और मान्यता

28–(1) कार्यपरिषद किसी भी कालेज को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाए, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी कालेज के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा–(7) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी। सम्बद्ध कालेज

(2) किसी सम्बद्ध कालेज के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध कालेज के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध कालेज का प्रबंधतंत्र कालेज के कार्याकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध कालेज ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् अथवा उप–कुलपति माँगे।

(5) कार्यपरिषद प्रत्येक सम्बद्ध कालेज का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पाँच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगी और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जाएगी।

(6) कार्यपरिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध कालेज को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाए, आवश्यक लगे।

(7) ऐसे किसी कालेज की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उप–धारा (6) के अधीन कार्यपरिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस कालेज के प्रबंधतंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद द्वारा परिनियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध कालेज का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तो का पालन करने में विफल हो गया हो तो कुलाधिपति प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगा अथवा उनमें कमी कर सकेगा।

29–(1) संघटक कालेज वे कालेज होगें, जिन्हें परिनियमों द्वारा नामित किया जाय और विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जायेगें। संघटक कालेज

(2) संघटक कालेज के प्राचार्य को कालेज के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विहित किया जाए।

स्वशासी कालेज

30–विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, ऐसे किसी सम्बद्ध कालेज को विहित रीति से स्वशासी कालेज, जो उस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करता हो, के रूप में उस कालेज में अनुदेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

अध्याय – छः

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

31–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक, कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो:

परन्तु अध्यापकों को किसी नियामक निकाय की अनुज्ञा गम्भीर आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिये संविदा के आधार पर लगाया जा सकता है। न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव वहीं होंगे जैसाकि सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथम एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह कि परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात कार्य परिषद आदेश न दे दे:

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा :

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाए तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अंतिम आदेश न दे दिया जाए।

(3) जहॉ कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहाँ कार्य परिषद्, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नही करती है तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक हैसियत से चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संबंधित अध्यापक, ऐसी मौलिक नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन मौलिक हैसियत से नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपलब्ध तद्नुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी ;

(दो) संबद्ध विभागाध्यक्षः

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नही बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके मौलिक पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगाः

परन्तु यह और कि जहॉ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें।

(तीन) किसी आचार्य, सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वहीं व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– (1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– (2) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम–निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी :

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगेः–

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करें।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद् उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद् चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चिय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार–विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों के तीन अंको में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सह–आचार्य और आचार्य के पद पर पदोन्नति

32–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक अचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत कोई सहआचार्य जिसकी उतनी सेवा अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जाय को क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी पदोन्नति धारा–31 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जैसी विहित की जाय, दी जायेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

33–(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेजों का कोई अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्ति नहीं किया जायेगा।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निजी चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन भविष्य निधि आदि

34–विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदें के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन स्कीमों, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है। जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम–1965 के अधीन अपने कर्तव्यों को निवर्हन करने के संध में निर्योग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

अध्यापकों के लिये अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमकीय कार्य की सीमायें

35–(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय संबंधी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्यों या किसी परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण–शब्द ''पारिश्रमिकीय पदों'' में किसी छात्रावास के प्रोवोस्ट, वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं।

माध्यस्थम अधिकरण

36–(1) धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति के संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थतम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चिय अंतिम और पक्षकारों के लिये बाध्यकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होगीः–

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना और;

(ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के संबंध में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो;

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम् न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय – सात

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें

शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें

37–(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, परिनियमावली में यथा विहित भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) सेवाओं की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वहीं होंगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाय और सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3) आयु अवधारणा और सेवा या अनुभव काल की गणना, उस भर्ती वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ हो, के 01 जुलाई को की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों आदि पर सीधी भर्ती या पदोन्नति हेतु आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

(5) रिक्त अनुमोदित पदों के सापेक्ष सरकार के निदेशों के अनुसार कर्मचारीगण को वाह्य स्त्रोतित किया जा सकता है।

अध्याय – आठ
परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

38–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगेः–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का नाम निर्देशन, नियुक्ति तथा पदावधि, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों का भरा जाना और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता और अनुभव सहित) उनके द्वारा विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण–नियम और उनकी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ एवं उनकी सेवा शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित अन्य उपबन्ध भी सम्मिलित है);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए नयी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनर्गठन;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें, अनुभव, परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, आयोजित करना,

(त) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन कालेजों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तें जिनके अधीन ऐसा कोई विशेषाधिकार वापस लिया जा सकता है;

(थ) किसी सम्बद्ध कालेज के प्रबन्ध तंत्र को मान्यता प्रदान करना;

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी

39–(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

(2) कार्य परिषद् नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठनों को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नयी परिनियमावली या किसी परिनियमावली में किया गया परिवर्धन या किसी परिनियमावली में किया गया संशोधन या निरसन, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर अग्रेत्तर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई परिनियमावली उस दिनांक से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य के नियामक प्राधिकरण के किसी सुझाव या सिफारिश पर या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विद्या, अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारीवृंद के हित में अपने किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहती है तो सरकार कुलाधिपति की सहमति से नये या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद् को सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी परिनियमावली को संशोधित या निरस्त करने या ऐसी परिनियमावली से असंगत नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने की शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

40–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उपाधियों में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए पात्र है;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने के शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, की मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना जिसमें अनुशासन भंग करने अथवा ज्येष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों की हिंसात्मक या अशिष्ट रैंगिंग के लिये निलम्बन, निष्कासन या निर्बंधन सम्मिलित है;

(ज) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज द्वारा किसी प्रयोजन हेतु प्रभारित की जाय;

(झ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तों और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा भत्ते जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ता सम्मिलित है; और

(ठ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम परिनियमावली द्वारा उपबंध किये जाने हों या अध्यादेशों द्वारा किए जायं।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

41–(1) अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् समय–समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों में संशोधन या निरसन कर सकती है, परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा;

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधियों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये धारा 25 की उपधारा (1) में उल्लिखित अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसा अध्यादेश का प्रारूप, विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्यक्रम के संचालन या उनके मानक पर प्रभाव पड़े, जब कि संबंधित संकाय के प्रस्ताव के अनुसार न हो और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) जिससे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद् को पूर्णतया अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी जिनका कार्य परिषद् सुझाव दें।

(4) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होगे जैसा कि वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को कार्यपरिषद् को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

विनियमन

42–(1) इस अधिनियम परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगाः–

(क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिसका संबंध केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेशों में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों की बैठको के दिनांक और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबंध होगा।

(3) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) विधान परिषद्, अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को व्यवस्था करने के लिये विनियम, संबंधित संकाय बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद् के पास उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रेत्तर विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

43–विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार की जायेगी।

अध्याय – नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखायें

लेखा तथा संपरीक्षा

44–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जिससे उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(3) सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद् द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) कार्य परिषद् ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद जो यथा विहित धनराशि से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिश कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद् जो वित्त समिति की सिफारिशों यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद् के लिये कोई व्यय उपगत करना वैध न होगाः—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को निधियॉ अनुदानित किये जाने की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न होः

परन्तु यह कि धारा—13 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख रूपये से अनाधिक ऐसा अनावर्ती व्यय जो बजट में मंजूर न किया गया हो, उपगत कर सकेगा और उसे ऐसे सम्पूर्ण व्यय के संबंध में तत्काल सरकार को सूचित करना होगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन दिये जाने हेतु तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकद्में के संबंध में हो।

अधिभार

45–(1) धारा–10 के खण्ड (ख) से (ज) में से किसी खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, विश्वविद्यालय की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हेतु अधिभार का दायी होगा। यदि ऐसे हानि, दुव्यर्य या दुरूपयोजन सीधे उसकी उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप हुआ हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुव्यर्य या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

46–(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न पद्धतियों से चुने जायेंगे।

(2) जहाँ इस अधिनियम या परिनियमावली में चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी आवेदन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वहीं होंगी जो विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

47–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्त भरी जानी हो, चुना गया हो और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति जो अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी हो केवल तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपना सीट पारित करता रहेगा, जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।

48–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:–

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

49–कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी हो अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि या प्रमाण–पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निदेश

50–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य रहा है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देशः–

(क) उस दिनांक के जब प्रश्न प्रथम बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में,–

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा;

(दो) जहां निर्दिष्ट विषय का संबंध निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

51–(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुए उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न देंः

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

52–कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, जब इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्यरत हों या कार्यरत होना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

वाद का वर्जन

53–सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या उसके निकाय के विरूद्ध उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

अध्याय – ग्यारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकरण का गठन

54–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जायेगा।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद् से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों अथवा निर्वाहन योग्य, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किसी रीति से किया जायेगा।

कतिपय अधिनियमों का संशोधन

55–अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियॉ एतद्द्वारा उसके स्तम्भ–3 में उल्लिखित सीमा तक संशोधित की जाती हैं।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

56–(1) सरकार, कोई कठिनाइयॉ दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जो आदेश में विर्निदिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहें वे उपान्तरण परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगेः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

अनुसूची

(धारा 55 देखिये)

क्र0सं0	अधिनियमिति का नाम		संशोधन की सीमा
(1)	(2)		(3)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)		(1) धारा 2 में खण्ड–2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थातः– ''(2) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसी संस्था से है, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों से संबंधित न हो;'' (2) धारा 5 में, उपधारा (6) निकाल दी जायेगी।
2.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002)		धारा 11 में खण्ड (अट्ठारह) निकाल दिया जायेगा।
3.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009)		धारा 5 में, खण्ड (दो) में शब्द ''राज्य ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना'' के स्थान पर शब्द राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध करना, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों में अध्यापन एवं परीक्षण प्रदान करने वाले महाविद्यालय तथा संस्थाएं न हों'', रख दिये जायेंगे।
4.	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2016)		धारा 6 में, खण्ड (थ) निकाल दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति का पुण्य स्मरण करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश नामक एक राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

2– विधेयक की मुख्य विशेषताएं नीचे उल्लिखित हैं :–

(क) विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य मेड्सिन, दन्त विज्ञान, परिचर्या, परा चिकित्सा और अन्य शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना है;

(ख) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के लिये सशक्त करना,–

(एक) सरकारी और साथ–ही–साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना;

(दो) चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध करना तथा उन पर नियंत्रण रखना;

(तीन) पारम्परिक तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(चार) अध्यापकों तथा अन्य प्राविधिक एवं परा चिकित्सीय अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ग) विश्वविद्यालय का कृत्य अन्य बातों के साथ–साथ संघ, राज्य तथा अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा।

3–तद्नुसार अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।